अ0शा0 परिपत्र सं: 57/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1, तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनाँक: अक्टूबर 13 , 2013

प्रिय महोदय,

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में समय-समय पर इस मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी किये गये हैं तथा इन परिपत्रों के अनुपालन में जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाहियां भी की जा रही हैं । उल्लेखनीय है कि मोबाइल एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस की 1090 हेल्प लाइन से उ0प्र0 पुलिस की छवि काफी उज्ज्वल हुयी है तथा ऐसे अपराधियों से महिलाओं को काफी हद तक मुक्ति भी मिली है । इस परिपत्र के द्वारा मैं विशेष रूप से आपका ध्यान अपने परिपत्र संख्या 16/2013 दिनांक 29/30 अप्रैल, 2013 एवं 30/2013 दिनांक 24 जून, 2013 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो मूल रूप से महिलाओं/लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ से सम्बन्धित हैं । उक्त दोनों परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है -

(1) जनपद में स्थित समस्त स्कूल एवं कालेजों के आस-पास कक्षायें आरम्भ होने एवं छूटते समय पुलिस की ड्यूटियां लगायी जांय । उचित होगा कि ऐसे स्कूल/कालेजों के बाहर के परिसर में ऐसे समय पर वीडियोग्राफी करायी जाय तथा अनावश्यक रूप से खड़े लड़कों से उनके वहां उपस्थिति होने का कारण अवश्य पूछा जाय । यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके अभिभावकों को इस सम्बन्ध में सूचित कर सचेत किया जाय । ऐसे स्कूल/कालेज परिसरों में महिला पुलिस की सादे में ड्यूटियां लगायी जा सकती हैं जिससे ऐसे असामाजिक तत्वों को आसानी से चिन्हित कर पायें और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो ।

(2) वर्तमान में विभिन्न त्यौहार चल रहे हैं । इन त्यौहारों के दौरान लड़कियों से छेड़-छाड़ को लेकर कई घटनायें घटित हो सकती हैं जैसे कि -

- प्रतिमा विसर्जन जुलूस देख रही एक सम्प्रदाय की लड़कियों के साथ दूसरे समुदाय के लड़कों द्वारा छेड़-खानी किया जाना ।
- देवी गीत के दौरान अन्य सम्प्रदायों द्वारा छेड़खानी ।
- रामलीला आदि के दौरान एक सम्प्रदाय के परिवारों के साथ छींटाकशी अथवा छेड़-छाड़ एवं सम्प्रदाय विशेष द्वारा इसका विरोध ।

• शोभायात्रा जुलूस आदि में शामिल महिलाओं के साथ अभद्रता ।

एक सम्प्रदाय की लड़की के साथ दूसरे सम्प्रदाय के लड़के द्वारा छेड़खानी करने पर साम्प्रदायिक संवेदनशीलता बढ़ती है तथा इस प्रकार की घटना केवल छेड़-छाड़ तक सीमित न रहकर एक वृहद साम्प्रदायिक विवाद का रूप ले सकती है । अतः ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु भी पुलिस द्वारा उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा ।

(3) सिनेमाघरों, माल्स, बाजारों, रेलवे स्टेशनों तथा मंदिरों आदि स्थानों में आम रूप से भी महिलाओं व लड़कियों की चहल-पहल रहती है और ऐसे स्थानों पर भी मनचले लड़के केवल छेड़-छाड़ के उद्देश्य से ही घूमते रहते हैं । ऐसे तत्वों पर भी अंकुश लगाये जाने हेतु इन स्थानों के प्रबंधकों व संगठनों के साथ वार्ता कर सी0सी0टी0वी0 आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा प्रयास किया जाय जिससे ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में सबूत इकट्ठा करने में पुलिस को सहायता मिले और कालान्तर में ऐसे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश भी लग सके । इसके अतिरिक्त ऐसी जगहों पर भी समय-समय पर पुलिस द्वारा संदेहास्पद युवकों की चैकिंग की जाय व महिला पुलिस की सादे में ड्यूटियां भी लगायी जांय जिससे ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा सके ।

2- मैं अपेक्षा करूंगा कि महिलाओं/लड़कियों के साथ छेड-छाड़ की ऐसी निन्दनीय घटनाओं को जनपदीय पुलिस साधारण घटनायें मानकर उनसे निबटने में टाल-मटोल न कर इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे जिससे हमारे ही समाज की आधी आबादी को इस अमानवीय प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने की दिशा में न केवल सार्थक प्रयास हों बल्कि पुलिस के ये प्रयास जनता में स्पष्टतया परिलक्षित भी हों जिससे पुलिस की उज्ज्वल छवि निरूपित हो सके ।

भवदीय,

(देवराज नागर) 13-X-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, रेलवे, लखनऊ ।
2- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।